थाना राठ जनपद हमीरपुर **प्रेस नोट** **दिनांक 19.04.2024**

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले 02 अभियुक्त अवैध शस्त्र(23 अदद निर्मित तमंचा/बन्दूक व 10 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा/नाल) व अवैध शस्त्र निर्माण करने वालें उपकरणों सहित गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2024 को सकुशल सम्पन्न करायें जाने के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण एवं अवैध असलहों के निर्माण, बिक्री व संचालन के विरुद्ध चलायें जा रहें अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण, संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग में मामूर थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना राठ क्षेत्र सैना रोड पर स्थित खाली पड़ा सरकारी कचरा घर में कुछ लोग नाजायज असलहें बना रहे हैं । मुखबिर खास की सूचना के विश्वास कर आज दिनांक 19.04.2024 को समय करीब 05.15 बजे प्रातः थाना राठ पुलिस द्वारा मुखबिर द्वारा बतायें गयें स्थान की घेराबन्दी करते हुए दबे पाव एकाएक दबिश देकर मौके से अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे 02 अभियुक्त **1.** भान सिंह पुत्र धरनीधर निवासी ग्राम लहदरा थाना हरपालपुर मध्य प्रदेश (उम्र करीब 57 वर्ष) व **2.** राजू विश्वकर्मा पुत्र स्वामीदीन निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 45 वर्ष) को भारी मात्रा में अवैध निर्मित व अर्द्धनिर्मित शस्त्र/कारतूस तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने वाले उपकरणों व एक अदद मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 178/2024 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।

पूछताछ विवरणः- अभियुक्त 1.भान सिंह पुत्र धरनीधर व 2. राजू विश्वकर्मा पुत्र स्वामीदीन उपरोक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उन लोगो के द्वारा स्थान बदल-बदल कर खेतों व निर्जन पड़े मकानों/स्थानों व किसी कोठरियों, ट्यूबेल जैसे सुरक्षित स्थानों का चयन करके तमंचो का निर्माण व पुरानें बन्दूकों/तमंचो की मरम्मत भी करते है तथा बन्दूकों/तंमचो को बनाकर घूम फिरकर मध्य प्रदेश व आस-पास के जनपदों में ले जाकर अच्छे दामों पर बेचा करते है। उससे जो भी धन प्राप्त होता है उसे अभियुक्तों के द्वारा आपस में बांट लिया जाता है तथा उसी से अपने परिवार का भरण-पोषण किया जाता है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. भान सिंह पुत्र धरनीधर निवासी ग्राम लहदरा थाना हरपालपुर मध्य प्रदेश (उम्र करीब 57 वर्ष) ।

2. राजू विश्वकर्मा पुत्र स्वामीदीन निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 45 वर्ष) ।

बरामदगी का विवरणः-

1. 11 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज ।	2. 01 अदद तमंचा 32 बोर नाजायज ।
3. 04 अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज ।	4. 04 अदद अद्धी तमंचा 12 बोर नाजायज ।
5. 03 अदद एकनाली बंदूक 12 बोर नाजायज ।	6. 10 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा व नाल नाजायज ।
7. 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज ।	8. 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज ।
9. 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज ।	भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण ।
10. एक अदद मोटरसाइकिल- बजाज सिटी	

(कुल बरामदगीः- 23 अदद निर्मित तमंचा/बन्दूक, 10 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा/नाल व कुल 33 अदद निर्मित/अर्द्धनिर्मित तमंचा/बन्दूक तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने वाले उपकरण)

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त भान सिंह पुत्र धरनीधर का आपराधिक इतिहासः-

(i) 1.मु0अ0सं0 431/18 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0।

(ii). मु0अ0सं0 62/86 धारा 379 आई0पी0सी0 थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0।

(iii). मु0अ0सं0 09/92 धारा 395/397/412 आई0पी0सी0 थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0।

(iv). मु0अ0सं0 10/97 धारा 395/412 आई0पी0सी0 थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0।

(v). मु0अ0सं0 63/92 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0।

(vi). मु0अ0सं0 334/09 धारा 307/504/506 आई0पी0सी0 थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा।

(vii). मु0अ0सं0 61/24 धारा 323,504,506 आई0पी0सी0 थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा।

(viii). मु0अ0सं0 431/18 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा।

2. अभियुक्त राजू विश्वकर्मा पुत्र स्वामीदीन का आपराधिक इतिहासः-

(i) मु0अ0सं0 65/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मझगवां जनपद हमीरपुर।

(ii) मु0अ0सं0 177/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मझगवां जनपद हमीरपुर।

(iii) मु0अ0सं0 178/22 धारा 307/34 आईपीसी व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व थाना मझगवां जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार सिंह, थाना राठ जनपद हमीरपुर।
2. उ0नि0 झुल्लर पाल, थाना राठ जनपद हमीरपुर।
3. उ0नि0 विनेश गौतम, थाना राठ जनपद हमीरपुर।
4. उ0नि0 (यू0टी0) सुरेन्द्र कुमार, थाना राठ जनपद हमीरपुर।
5. का0 मनीष पाल, थाना राठ जनपद हमीरपुर।
6. का0 विजय प्रताप यादव, थाना राठ जनपद हमीरपुर।